(106)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2165–एक/05 विरूद्ध आदेश दिनांक 19–12–2005 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 545/2002–03/अपील.

सुरेश कुमार पुत्र नाथूलाल लोधी
निवासी ग्राम बापचा विक्रम
तहसील चाचौड़ा जिला गुना .....आवेदक

विरूद्ध

1– मोरबाई पत्नी धूरीलाल
2– नाथूलाल पुत्र राधा किशन
निवासीगण ग्राम बापचा विक्रम
तहसील चाचौड़ा जिला गुना .....अनावेदकगण

श्री के.के. द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री एस.के. बाजपेयी, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 18/5/12 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–12–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा तहसीलदार, चाचौड़ा जिला गुना के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि के समक्ष ग्राम बापचा विक्रम स्थित भूमि सर्वे कमांक 45, 160, 287, 312, 351, 353, 439, 448, 457, एवं 433 कुल रकबा 23.149 हेक्टेयर धूरीलाल के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है तथा धूरीलाल की मृत्यु वर्ष 1999 में हो गई है, और धूरीलाल द्वारा आवेदक के पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित किया गया है, अतः प्रश्नाधीन भूमियों पर उसका नामान्तरण स्वीकार किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 7/अ–6/2000–01 दर्ज कर दिनांक 31–3–2001 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमियों पर वसीयतनामा के आधार पर

आवेदक का नामान्तरण स्वीकार किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, चाचोड़ा के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 13–6–2003 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 19–12–2005 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार के आदेश निरस्त करते हुए प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदिका कमांक 1 मोरबाई का नामांतरण किये जाने के आदेश दिये गये । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा विधिवत आवेदक के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा को साक्ष्य से प्रमाणित किया गया है । ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा आवेदक के पक्ष में नामांतरण आदेश पारित करने में विधिसम्मत कार्यवाही की गई है, इसलिए उनका आदेश स्थिर रखने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है, इसके बावजूद भी अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार के आदेश निरस्त करने में अवैधानिक कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने में अपर आयुक्त द्वारा विधि विपरीत कार्यवाही की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में व्यवहार न्यायालय में प्रचलित व्यवहार वाद वापिस ले लिया गया है, अर्थात सहमति के आधार पर आदेश पारित हुआ है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि मृतक भूमिस्वामी धूरीलाल द्वारा आवेदक के पक्ष कोई वसीयतनामा निष्पादित नहीं किया गया है । यह भी कहा गया कि वसीयतनामा में प्रश्नाधीन भूमि के सर्वे नम्बर एवं रकबा का कोई उल्लेख नहीं है । ऐसी स्थिति में वसीयतना संदिग्ध होने से ऐसे वसीयतनामा के आधार पर तहसीलदार द्वारा आवेदक का नामांतरण करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है, और तहसीलदार के विधि विपरीत आदेश की पुष्टि करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा त्रुटि की गई थी, इसलिए दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा उचित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि वसीयतनामा में उल्लेख किया गया है कि मृतक भूमिस्वामी धूरीलाल के कोई वारिस नहीं हैं, जबकि

अनावेदकगण मृतक भूमिस्वामी धूरीलाल के विधिक वारिस हैं । अतः तथ्यों को छिपाकर निष्पादित वसीयतनामा मान्य नहीं किया जा सकता है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि वसीयतनामा में अनावेदकगण को पृथक करने का कोई कारण नहीं दर्शाया गया है । उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका कमांक 846/2007 में दिनांक 28–6–2008 को आदेश पारित कर आवेदक के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा दिनांक 10–9–1999 को संदिग्ध माना है । आवेदक वसीयतनामा को प्रमाणित नहीं कर सका है । अतः माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के प्रकाश में अपर आयुक्त द्वारा वसीयतनामा को संदिग्ध मानने संबंधी निष्कर्ष निकालते हुये आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होने से इस निगरानी में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–12–2005 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर